प्रेषक,

अनिल कुमार XI, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर।

सेवा में,

माननीय जिला न्यायाधीश, महोदय,

सहारनपुर।

विषयः—माननीय न्यायमूर्ति, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, भारत श्री के०एम० जोसेफ महोदय को सम्बोधित पत्र पर वॉछित आख्या के सम्बन्ध में।

1

आदरणीय महोदया.

उपरोक्त विषयक प्रार्थना पत्र पर पारित आदरणीय महोदया के आदेश दिनांकित 09—12—2022 जो आदरणीय महोदया के प्रशासनिक सहायक के द्वारा दिनांक 13—12—2022 को अधोहस्ताक्षरी हेतु अग्रसारित किया गया है, उक्त आदेश अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 16–12–2022 को कार्यालय लिपिक द्वारा प्राप्त कराया गया. में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि :---

अनुराग बंसल के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 156 (3) दं०प्र०सं० पर पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 26-08-2020 के कम में सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 250 / 2020 अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी० भावदं०सं० विरूद्ध अभियुक्तगण निशलंक जैन, शुभी जैन व ईशा जैन पंजीकृत हुआ। जिसमें मामलें के विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या 22/2021 दिनांकित 03–07–2021 जो न्यायालय में दिनांक 22–07–2021 को प्राप्त कराई गई, के विरूद्ध संस्थित वादी मुकदमा की प्रोटेस्ट पिटीशन पर पारित इस न्यायालय के 10 पृष्ठीय विस्तृत आदेश दिनांकित 20–11–2021 के द्वारा अन्तिम आख्या निरस्त करते हुए अभियुक्तगण निशलंक जैन, शुभी जैन एवं ईशा जैन को अपराध अर्न्तगत धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी0, 504 व 506 भा0दं०सं० में विचारण हेतु तलब किया गया था।

उक्त मामलें में जिस तिथि 03-07-2021 को मामलें के विवेचक द्वारा अन्तिम 2-आख्या किता किए जाने का उल्लेख केस डायरी पर किया गया है, उसी तिथि पर मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन डी०आई०जी० के आदेश के अनुपालन में मूल मामले के वादी एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 139 / 2021 सम्बन्धित थाने पर पंजीकृत हुआ तथा मामलें के विवेचक द्वारा मूल मामलें (मुकदमा अपराध संख्या 250 / 2020) के वादी अनुराग बंसल को उक्त अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 6 दिवस पश्चात् गिरफ़तार कर दिनांक 09-07-2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर पारित इस न्यायालय के विस्तृत आदेश दिनांकित 09-07-2021 के द्वारा विवेचक की रिमाण्ड याचना को निरस्त कियाँ गया।

अधोहस्ताक्षरी के उक्त आदेश के विरूद्ध मूल मामलें (मुकदमा अपराध संख्या 3— 250 / 2020) की अभियुक्ता व मुकदमा अपराध संख्या 139 / 2021 की वादिया श्भी जैन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 482 *दं०प्र0स0ं संख्या 16238/2021 शुभी जैन बनाम उ०प्र0 राज्य संस्थित किया गया।* जिस पर पारित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 24–03–2022 के द्व ारा **मुकदमा अपराध संख्या 250/2020 की अभियुक्ता व मुकदमा अपराध संख्या** 139 / 2021 की वादिया की उक्त याचिका को निरस्त करते हुएँ तथा यह अंकित करते हुए "The order in question, passed by the learned lower court is based on proper consideration, is a justifiable order and the Folistions order in question passed by the lower court concerned is justified, no material irregularity or impropriety or any error of procedure or jurisdiction is reflected in it. The arguement of learned additional government advocate is also justified, therefore, the application of the applicant concerned to set a side the order in question, deserves to be cancelled and the order in question is confirmed. Accordingly this application is dismissed and the order in question passed by the lower court on 09-07-2021 is affirmed." इस न्यायालय के आदेश दिनांकित

4— मूल मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन द्वारा अधोहरताारी के उक्त आदेश के विरुद्ध ही माननीय सत्र न्यायालय में भी दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 234/2021 संस्थित किया गया था, जिसमें पारित माननीय सत्र न्यायालय के आदेश दिनांकित 03—08—2022 के द्वारा अभियुक्ता शुभी जैन का दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जा चुका है।

5— मूल मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांकित 09—07—2021 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांकित 24—03—2022 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में एस0एल0पी0 (फौजदारी) डायरी संख्या 28404/2022 शुभी जैन बनाम उ0प्र0 राज्य संस्थित किया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्ययालय के दो माननीय न्यायमूर्तिगण की बैंच द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14—10—2022 के द्वारा अभियुक्ता शुभी जैन की उक्त याचिका को निस्तारित/निरस्त किया जा चुका है।

6— मूल मुकदमा अपराध संख्या 250/2020 में अभियुक्ता शुभी जैन व दो अन्य को तलब किए जाने सम्बन्धी आदेश को किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने का कोई आदेश पत्रावली पर आज की तिथि तक मौजूद नहीं है और मामलें की अभियुक्ता को स्वयं एवं दो अन्य को तलब किए जाने के तथ्य की पूर्ण जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद भी अभियुक्ता शुभी जैन आदि द्वारा न्यायालय में अपनी विधिक उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है व दिनांक 15–11–2022 को जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 70 (2) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पारित इस न्यायालय के विस्तृत आदेश दिनांकित 15–11–2022 के द्वारा अभियुक्ता शुभी जैन का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए उक्त अभियुक्ता की उपस्थिति न्यायालय में उपसंजात कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए एन0बी0डब्ल्यू0 की आदेशिकाएं जारी की गई।

7— इस न्यायालय के उक्त आदेश के लगभग 10 दिवस पश्चात् ही श्री जयविन्दर सिंह उपनिरीक्षक थाना कोतवाली नगर की ओर से उक्त मामलें में ही एक प्रार्थना पत्र बाबत हस्तलेख मिलान की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया, जो कि अधोहस्ताक्षरी के विस्तृत आदेश दिनांकित 28–11–2022 के द्वारा निरस्त किया गया।

यहाँ यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि उपनिरीक्षक जयविन्दर सिंह थाना कोतवाली नगर द्वारा किस प्राधिकार से और किसके आदेश से उक्त मामलें में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, का भी कोई उल्लेख दर्शित नहीं किया गया था। इस न्यायालय को स्वयं के प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण/अपील/पुनर्विलोकन आदि का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी दशा में समस्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक तथ्यों का उल्लेख करते हुए विस्तृत आदेश दिनांकित 28–11–2022 पारित करते हुए उपनिरीक्षक जयविन्दर सिंह का प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का आदेश पारित किया गया, जो

7

3

न्यायालय द्वारा अपनी वैधानिक क्षेत्राधिकारिता के अर्न्तगत किया गया पारित किया गया है, क्योंकि अभियुक्तगण को तलब किए जाने के पश्चात् उक्त मामलें में किसी भी प्रवर न्यायालय का न तो कोई स्थगन आदेश दाखिल किया गया है, न ही उक्त प्रसंज्ञान आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। ऐसी दशा में तलब किए गए अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायालय के वैधानिक क्षेत्राधिकार की विषयवस्तु है।

8- प्रश्नगत मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन अत्यन्त ही प्रभावशाली महिला है, जिसका सम्पर्क पुलिस के उच्च स्तर तक स्पष्ट दर्शित होता है, जिसकी पुष्टि निम्न तथ्यों से होती है :----

ए- मूल मामलें के वादी मुकदमा अनुराग बंसल के प्रार्थना पत्र पर पारित इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 26-08-2020 के द्वारा दिनांक 28-09-2020 को अभियोग पंजीकृत हुआ, किन्तु मामलें के विवेचक द्वारा उक्त मामलें में अन्तिम आख्या किता किए जाने तक किसी भी तिथि पर किसी भी अभियुक्तगण को गिरफतार किए जाने का प्रयास किया जाना प्रदर्शित नहीं होता है और न ही किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर पेश किया गया, किन्तु अभियुक्ता के प्रार्थना पत्र पर संस्थित मामलें के छठवे दिन ही मूल मामलें के वादी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बी— सामान्य अनुकम में व सामान्य परिस्थितियों में यह नहीं होता है कि किसी मामलें में अन्तिम आख्या किता किए जाने व उक्त मामलें में धारा 182 भा0दं0सं0 की रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के बावजूद भी उक्त मामलें की अभियुक्ता के प्रार्थना पत्र पर डी0आई0जी0 के स्तर से अन्तिम आख्या किता किए जाने की तिथि पर ही सीधे ही मूल मामलें के वादी मुकदमा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करा दिया, जबकि प्रश्नगत मामलें में ऐसा हुआ है। अधोहस्ताक्षरी के न्यायिक सेवा के 13 वर्ष के कार्यकाल में यह एकमात्र ऐसा प्रकरण देखा गया जिसमें मूल मामलें की अभियुक्ता को सम्पूर्ण विवेचना की पूर्ण जानकारी रही, उसे इस तथ्य की भी जानकारी रही कि दिनांक 03–07–2021 को उसके विरूद्ध मामलें में अन्तिम आख्या किता की जा रही है तथा उक्त तिथि पर गैर जनपद की निवासिनी उक्त महिला सीधे ही डी0आई0जी0 स्तर के अधिकारी से आदेश पारित कराकर मूल मामलें के वादी के विरुद्ध उन्हीं तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत करा दें।

यदि इस प्रकार की प्रक्रिया का वास्तविक रूप से कोई वैधानिक उपबन्ध होता जिसमें मूल मामलें के वादी के मामलें में अन्तिम आख्या किता किए जाने व रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 182 भा0दं0सं0 प्रेषित किए जाने तथा उक्त रिपोर्ट न्यायालय में प्राप्त भी नहीं कराई गई हो, और उक्त रिपोर्ट पर न्यायालय के स्तर से कोई कार्यवाही भी तत्समय तक नहीं हुई हो, तब ऐसी स्थिति में ऐसे मामलें के नामित अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर उन्हीं तथ्यों के आधार पर अभियोग पंजीकृत होना सामान्यतः अनुमत होता तो प्रत्येक ऐसे मामलें जिसमें अन्तिम आख्या किता की जाती है, उक्त मामलें के अभियुक्त के प्रार्थना पत्र पर उक्त मामलें के वादी मुकदमा के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जाता रहता, किन्तु वास्तविक रूप से न्यायिक प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं है।

भूषता से पुल मामलें के वादी मुकदमा को इस तथ्य की जानकारी होना दर्शित नहीं होता है कि दिनांक 03–07–2021 को उसके मामलें में अन्तिम आख्या व रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 182 भा0दं0सं0 किता की जा चुकी है, किन्तु मामलें की अभियुक्ता को जो कि गैर जनपद की निवासिनी है, को इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रही है कि दिनांक 03–07–2021 को जिस मामलें में वह अभियुक्त है, अन्तिम आख्या किता की जा रही है और उसी तिथि पर वह अभियुक्ता डी0आई0जी0 सहारनपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल मामलें के वादी मुकदमा के विरूद्ध उन्हीं तथ्यों पर अभियोग पंजीकृत करा देती है।

डी— न्यायालय के आदेश दिनांकित 15—11—2022 के द्वारा अभियुक्ता का प्रार्थना पत्र अन्द्रगत धारा 70 (2) दं0प्र0सं० निरस्त होने के कुछ दिन पश्चात् ही पुलिस के एक अधिकारी द्वारा प्रसंज्ञान लिये जा चुके मामलें में बिना किसी स्पष्ट दर्शित प्राधिकार के हस्तलेख मिलान हेतु प्रार्थना पत्र पस्तुत किया जाना, पुनः इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि मूल मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन अत्यन्त प्रभावशाली महिला है तथा उसका सम्पर्क पुलिस के प्रत्येक स्तर पर है तथा उसके मामलें में उससे भी अधिक पैरवी पुलिस के स्तर से की जाती रही है। मूल मामलें की अभियुक्ता शुभी जैन अत्यन्त प्रभावशाली महिला है वह न सिर्फ पुलिस के स्तर पर अपितु विविध स्रोतो के माध्यम से विविध स्तर पर दबाव बनाने का पूर्ण प्रयास उसके द्वारा किया जाता रहा है। श्री जयविन्दर सिंह उपनिरीक्षक द्वारा यद्यपि लिखित में यह कथन नहीं किया गया, किन्तु मौखिक रूप से उसके द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि उसके ऊपर पुलिस के उच्चाधिकारियों का दबाव है, इसीलिए उसके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

9– प्रश्नगत मामलें में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित समस्त आदेश न्यायिक प्रक्रिया के तहत तथ्यों एवं विधि का समयक निर्वचन करते हुए पारित किए गए है। अभियुक्ता चूँकि प्रभावशाली महिला है और प्रश्नगत मामलें में पुलिस के स्तर से उक्त महिला का स्पष्ट दर्शित पक्षपोषण किया जाना दर्शित होता है। न्यायालय के स्तर पर भी उसके द्व ारा विविध प्रकार के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, किन्तु न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के किसी भी प्रयास के प्रभाव अथवा दबाव में न आते हुए विधिक आदेश पारित किये गये है।

वर्तमान में उक्त पत्रावली न्यायालय अपर सिविल जज 'जू०डि०' प्रथम/न्यायिक मजिस्ट्रेट सहारनपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र में अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध आरोपित समस्त तथ्य पूर्णतः असत्य, निराधार, काल्पनिक एवं वास्तविकता से परे हैं, जिनका एक मात्र उद्देश्य अधोहस्ताक्षरी पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाकर अपने मन वांछित हितों की अवैधानिक रूप से प्रतिपूर्ति करना प्रतीत होता है।

आख्या माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित।

आदर सहित।

नोटः—अधोहस्ताक्षरी के इस पत्र में जिन आदेशो का उल्लेख किया गया है, उक्त समस्त आदेश मूल पत्रावली पर मौजूद हैं तथा अधिकांश आदेशो का उल्लेख प्रश्नगत प्रार्थना पत्र में भी किया गया है।